01/08/19 पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। मजीद बहस सुनी गई वादी भावराम वगैरह द्वारा R.T.Act की धारा 188 के तहत वाद पेश कर निवेदन किया गया कि सरहद मौजा जोड़वास तहसील रानीवाड़ा में वादी की संयुक्त एवं शामलाती खातेदारी आराजी नवीन ख०न० 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166 कुल रकबा 3.85 हे० स्थित है, उक्त आराजी में वह संयुक्त खातेदार है। वादी के पड़ोस में प्रतिवादी स० एक की शामलाती संयुक्त खातेदारी भूमि ख०न० 138, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 167, 182 कुल क्षेत्रफल 5.67 हे० स्थित है। तथा वादीगण की ख०न० 158 व प्रतिवादी के ख०न० 157 की सीमा लगती है। प्रतिवादीगण वादी के ख०न० 158 की उत्तरी भाग को खुर्द-बुर्द कर अपनी आराजी में मिलाने पर आमादा है। प्रतिवादी स०1 व अन्य सहखातेदारान ने वादी की संयुक्त आराजी ख०न० 158 की उत्तरी भाग को नष्ट किया है। वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 राजस्व भू-राजस्व अधिनियम की तहत पेश किया है। जिसकी मय लगने पर प्रतिवादीगण ने ख०न० 158 के अन्दर दिनांक 03.11.2015 को अवैध निर्माण करने हेतु नींव खोदने का कार्य शुरू किया तो अतः वादी की संयुक्त शामलाती खातेदारी भूमि में ... Cont.

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नक्श अहलकार की तारीख
	प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे कि वे वादीगण की आराजी में न तो स्वयं कोई निर्माण कार्य करे तथा न ही किसी अन्य से कोई निर्माण कार्य करावे तथा न ही किसी अन्य से कोई निर्माण कार्य करावे तथा न ही उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई प्रतिवादीगण दखल करे तथा न ही किसी अन्य से दखल करावे। प्रतिवादीगण से तलबाना तामील होने के उपरान्त अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी मावाराम द्वारा दिनांक 20.12.17 को साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा दस्तावेज Exhibit करवाये गये। Ex-1 जमाबन्दी 2071-74 ग्राम जोड़वाल अनुसार वादी उपरोक्तानुसार ख.नं. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166 में संयुक्त सहखातेदार है तथा Ex-2 नक्शा किश्तवार के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि मिलती है। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। समस्त पत्रों पर गौर करने के बाद न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाता है कि वादी एवं उसकी संयुक्त खातेदारी ग्राम जोड़वाल के ख.नं. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166 कुल रकबा 3.8558 --	

क्रमशः

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
में प्रतिवादीगण नेथी वल्द खुमाजी, बेचरा व चूना, हकमा पि० नेथीजी स्वयं ने तो कोई निर्माण कार्य करे एवं न ही किसी अन्य से कोई निर्माण कार्य करावे। तथा न ही उक्त आराजी में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई प्रतिवादीगण दखल करे तथा न ही किसी अन्य से दखल करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर	

Scanned by CamScanner